संशोधित

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

सेवा में,

मा0 न्यायालय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0),
नई दिल्ली।

पत्रांक 2568 /खनिज/2024 दिनांक 16/01/2024

विषयः— ओ0ए0 नं0—142/2022 Jayant Kumar Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.01.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया ओ0ए0 नं0—142/2022 Jayant Kumar Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.01.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है।

उक्त आदेश के अनुपालन में आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नकः— यथोपरि।

भवदीय,

16.1.24

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

समक्ष माननीय न्यायालय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0), नई दिल्ली।
ओ0ए0 नं0–142/2022

Jayant Kumar

..... याची

बनाम

Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors.

.....उत्तरदाता

ओ0ए0 नं0–142/2022 Jayant Kumar Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.01.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत् है:–

"1. Vide order dated 04.12.2023 the District Magistrate, Sonbhadra was directed to submit his report regarding surrender of mining lease by respondent no. 6 but no report has been submitted by the District Magistrate, Sonbhadra.

2. Learned Counsel for respondent nos. 5 and 6 has submitted that respondent no. 5 had filed an application with SEIAA U.P. for re-appraisal of the mining lease on which SEIAA U.P. has granted EC dated 11.01.2023 and he seeks time to file copy of the same.

3. Copy of the EC dated 11.01.2023 granted by SEIAA U.P. be filed on or before 18.01.2024 by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. The District Magistrate, Sonbhadra, Uttar Pradesh is also directed to send his report regarding surrender of mining lease by respondent no.6 on or before 18.01.2024 by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF."

उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी0एस0 इन्फ्राकन्सट्रक्शन लिमि0, पता ग्राम व पो0–खनवार, जनपद बलिया, पिन–221711 मैनेजिंग डायरेक्टर–श्रीमती पुष्पा सिंह के पक्ष में जनपद–सोनभद्र के तहसील–ओबरा स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–7536ग मि0 (खण्ड–3) रकबा–4.000 हे0 क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 06.11.2020 से दिनांक 05.11.2030 तक की अवधि के लिए, जिसमें DEIAA से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिससे खनन पट्टा स्वीकृत हुआ है।

याची द्वारा दिनांक 04.05.2022 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि– पट्टे से माह–नवम्बर से ही खनन का कार्य बन्द करा दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2022 पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नीलाम खनन पट्टा को निरस्त किया जाय।

खनन पट्टे के समाप्त (अभ्यर्पण) हेतु उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–30 में खनन पट्टे के अभ्यर्पण हेतु निम्न प्राविधान है:–

> 30– पट्टाधारक, अभ्यर्पण की आशयित दिनांक को उस वर्ष की वार्षिक किस्त की पच्चीस प्रतिशत के बराबर की धनराशि, जिसे प्रतिभूति के सापेक्ष समायोजित की जा सकती है, जमा कर निम्न दस्तावेजों के साथ अभ्यर्पण के लिए आवेदन करेगा:
>
> (क) राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के लिए प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति।
>
> (ख) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा तथा खनन की गयी मात्रा के ध्य अन्तर के लिये जमा की गयी धनराशि का प्रमाण–पत्र अथवा अन्तर न होने की स्थिति में ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी सम्बन्धित पट्टा अदेयता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त के अनुसार याची को पट्टा अभ्यर्पण हेतु आवेदन के दिनांक से खनन क्रियाकलाप करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को रिक्त किया हुआ माना जायेगा।

याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2022 व 04.05.2022 के साथ नियमावली, 2021 के नियम–30 (क) एवं 30(ख) के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2022 व 04.05.2022 पर विचार किया जाना सम्भव नही हुआ।

याची द्वारा अभ्यर्पण हेतु नियमानुसार वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा खनन पट्टा में किश्त, डी0एम0एफ0, टी0सी0एस0 की देयता के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–2348/खनिज/2023 दिनांक 28.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र दिनांक 28.11.2023 के विरूद्ध याची द्वारा पुनः मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–42429/2023 सी0एस0 इन्फ्राकन्सट्रक्शन लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21.12.2023 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिये गये है, जिसके अनुपालन में शासन से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्र की जाँच संयुक्त रूप से ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान निरीक्षक, सर्वेक्षक द्वारा दिनांक 22.12.2023 को की गयी, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि– उक्त पट्टा क्षेत्र में कोई खनन एवं परिवहन कार्य नही हो रहा है तथा विभागीय ई एम0एम0–11 पोर्टल से दिनांक 02.11.2021 के बाद कोई ई–एम0एम0–11 जनित नहीं किया गया है।

अतः ओ0ए0 नं0–142/2022 Jayant Kumar Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में आख्या सादर प्रेषित है।

10.1.24

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।

समक्ष माननीय न्यायालय,
राष्ट्रीय हरित अधिकरण(एन0जी0टी0), नई दिल्ली।
ओ0ए0 नं0–142/2022

Jayant Kumar

..... याची

बनाम

Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors.

.....उत्तरदाता

ओ0ए0 नं0–142/2022 Jayant Kumar Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.01.2024 का कार्यकारी अंश निम्नवत् हैः–

"1. Vide order dated 04.12.2023 the District Magistrate, Sonbhadra was directed to submit his report regarding surrender of mining lease by respondent no. 6 but no report has been submitted by the District Magistrate, Sonbhadra.

2. Learned Counsel for respondent nos. 5 and 6 has submitted that respondent no. 5 had filed an application with SEIAA U.P. for re-appraisal of the mining lease on which SEIAA U.P. has granted EC dated 11.01.2023 and he seeks time to file copy of the same.

3. Copy of the EC dated 11.01.2023 granted by SEIAA U.P. be filed on or before 18.01.2024 by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF.

4. The District Magistrate, Sonbhadra, Uttar Pradesh is also directed to send his report regarding surrender of mining lease by respondent no.6 on or before 18.01.2024 by email at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR supported PDF and not in the form of Image PDF."

उक्त आदेश के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी0एस0 इन्फ्राकन्सट्रक्शन लिमि0, पता ग्राम व पो0–खनवार, जनपद बलिया, पिन–221711 मैनेजिंग डायरेक्टर–श्रीमती पुष्पा सिंह के पक्ष में जनपद–सोनभद्र के तहसील–ओबरा स्थित ग्राम–बिल्ली मारकुण्डी के आराजी संख्या–7536ग मि0 (खण्ड–3) रकबा–4.000 हे0 क्षेत्र पर गिट्टी/बोल्डर (डोलो स्टोन) का 10 वर्षीय खनन पट्टा दिनांक 06.11.2020 से दिनांक 05.11.2030 तक की अवधि के लिए, जिसमें DEIAA से पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था, जिससे खनन पट्टा स्वीकृत हुआ है।

याची द्वारा दिनांक 04.05.2022 को प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर अवगत कराया कि– पट्टे से माह–नवम्बर से ही खनन का कार्य बन्द करा दिया गया है। यह भी उल्लेख किया गया कि प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2022 पर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए नीलाम खनन पट्टा को निरस्त किया जाय।

खनन पट्टे के समाप्त (अभ्यर्पण) हेतु उ०प्र० उप खनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के नियम–30 में खनन पट्टे के अभ्यर्पण हेतु निम्न प्राविधान हैः–

30– पट्टाधारक, अभ्यर्पण की आशयित दिनांक को उस वर्ष की वार्षिक किस्त की पच्चीस प्रतिशत के बराबर की धनराशि, जिसे प्रतिभूति के सापेक्ष समायोजित की जा सकती है, जमा कर निम्न दस्तावेजों के साथ अभ्यर्पण के लिए आवेदन करेगाः

(क) राज्य सरकार या अनुवर्ती प्रस्तावक के पक्ष में सम्बन्धित पट्टा क्षेत्र के लिए प्राप्त पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण–पत्र के अन्तरण हेतु अनापत्ति।

(ख) पर्यावरण अनापत्ति प्रमाण पत्र में उल्लिखित मात्रा तथा खनन की गयी मात्रा के ध्य अन्तर के लिये जमा की गयी धनराशि का प्रमाण–पत्र अथवा अन्तर न होने की स्थिति में ज्येष्ठ खान अधिकारी/खान अधिकारी/खान निरीक्षक द्वारा जारी सम्बन्धित पट्टा अदेयता प्रमाण पत्र।

उपरोक्त के अनुसार याची को पट्टा अभ्यर्पण हेतु आवेदन के दिनांक से खनन क्रियाकलाप करने से प्रतिषिद्ध कर दिया जायेगा तथा उक्त क्षेत्र को रिक्त किया हुआ माना जायेगा।

याची द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 12.01.2022 व 04.05.2022 के साथ नियमावली, 2021 के नियम–30 (क) एवं 30(ख) के सम्बन्ध में कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके कारण उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 12.01.2022 व 04.05.2022 पर विचार किया जाना सम्भव नही हुआ।

याची द्वारा अभ्यर्पण हेतु नियमानुसार वांछित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण अभ्यर्पण स्वीकार नहीं किया गया तथा खनन पट्टा में किश्त, डी0एम0एफ0, टी0सी0एस0 की देयता के सम्बन्ध में कार्यालय पत्र संख्या–2348/खनिज/2023 दिनांक 28.11.2023 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया है। पत्र दिनांक 28.11.2023 के विरूद्ध याची द्वारा पुनः मा0 उच्च न्यायालय में याचिका संख्या–42429/2023 सी0एस0 इन्फ्राकन्सट्रक्शन लिमिटेड बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। उक्त याचिका में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 21.12.2023 को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने के आदेश दिये गये है, जिसके अनुपालन में शासन से अनुमति प्राप्त किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है। अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

क्षेत्र की जाँच संयुक्त रूप से ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान निरीक्षक, सर्वेक्षक द्वारा दिनांक 22.12.2023 को की गयी, जिसमें मुख्य रूप से उल्लेख किया गया कि– उक्त पट्टा क्षेत्र में कोई खनन एवं परिवहन कार्य नही हो रहा है तथा विभागीय ई एम0एम0–11 पोर्टल से दिनांक 02.11.2021 के बाद कोई ई–एम0एम0–11 जनित नहीं किया गया है।

अतः ओ0ए0 नं0–142/2022 Jayant Kumar Vs Ministry of Environment, Forest and Climate Change & Ors. में पारित मा0 न्यायालय, राष्ट्रीय हरित अधिकरण, (एन0जी0टी0), नई दिल्ली के आदेश दिनांक 12.01.2024 के अनुपालन में आख्या सादर प्रेषित है।

जिलाधिकारी,
सोनभद्र।